अनुमत उद्योगों के सुचारू संचालन, संक्रमण फैलाव रोकने और श्रमिकों के हितों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
SS-9-05-2020-10.docx (http://103.203.138.54/news/206480/document/SS-9-05-2020-10.docx)

DESCRIPTION

अनुमत उद्योगों के सुचारू संचालन, संक्रमण फैलाव रोकने और श्रमिकों के हितों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी

जयपुर, 9 मई। राज्य सरकार ने वैश्विक कोरोना महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन-3 के दौरान अनुमत किये गये उद्योगों के सुचारू संचालन, संक्रमण फैलाव रोकने और श्रमिकों के हितों का पूरा ध्यान रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। यह प्रक्रिया उद्योग विभाग एवं श्रम विभाग ने संयुक्त रूप से तैयार की है।

श्रम विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज कुमार पवन ने बताया कि लॉकडाउन 3 में अनुमत की गयी औद्योगिक गतिविधियों में औद्योगिक परिसर एवं कारखाने परिसर की साफ-सफाई एवं सेनेटाईजेशन का कार्य केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सम्पादित करना होगा। साथ ही राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की ओर से समय-समय पर जारी गाईडलाईन, एडवाईजरी, आदेशों की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उन्होंने बताया कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रवेश के समय थर्मल तापमान यंत्र के माध्यम से प्रत्येक क्रामिक या श्रमिकों के शरीर का तापमान लिया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी क्रामिक या श्रमिक के शरीर का तापमान मानक के अनुरूप हो तो उसे प्रवेश दिया जाये अन्यथा कुछ समय बाद पुनः उसका तापमान मापा जायें। यदि फिर मानक तापमान से ज्यादा आता है तो उसे परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाये। साथ ही यदि उसमें कोई कोरोना के प्रथम दृष्टया लक्षण नजर आते है तो उसकी सूचना निकटतम चिकित्सा अधिकारी अथवा इंसीडेट कमांडर को दी जाये।

डॉ. पवन ने बताया कि कार्य के दौरान श्रमिकों एवं कार्मिकों को उचित सामाजिक दूरी के मानदण्डों को अपनाना होगा। सोशल डिस्टेंशिंग का ध्यान रखते हुए कोरोना वायरस महामारी को ष्टिगत रखते हुए यथा संभव श्रमिकों की सभाओं से परहेज करें।

उन्होंने बताया कि यदि किसी प्रवासी श्रमिक एवं कार्मिक को कार्य पर रखा जाता है तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी ठीक से जांच कराई जाये और उसकी यात्रा एवं परिवार का विवरण, जिस क्षेत्र से आया है उसका विवरण आदि भी एकत्रित किया जाये।।

शासन सचिव ने बताया कि औद्योगिक इकाई में काम आने वाले सभी उपकरणों, पोर्टबल मशीनरी संयत्र आदि को उत्पादन से पूर्व एवं पश्चात आवश्यक रूप से सेनिटाईज कराया जाये। नियोजक द्वारा श्रमिकों एवं कार्मिकों के समय-समय पर जागरूकता शिविर आयोजित किया जायें ताकि कोविड-19 वायरस से होने वाले संक्रमण की रोकथाम की जा सके।

उन्होंने बताया कि नियोजक द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन से पूर्व श्रमिकों एवं कार्मिकों को जो सुविधा प्रदान कि जा रही है उसे जारी रखा जायें, जिससे कि कार्यस्थल पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकें। यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यरत किसी परिवार का सदस्य कोविड-19 के संक्रमण से पीड़ित या संदिग्ध है तो ऐसे श्रमिक से परिसर में तब तक कार्य नहीं कराया जाये तब तक कि संबंधित परिवारजन कोरोना मुक्त घोषित किया जाये या उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जायें।

डॉ. ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में औद्योगिक परिसर में सभा, सामुहिक मेल मिलाप आदि गतिविधियां आयोजित नहीं की जायें। कार्यस्थल पर सेनेटाइजेशन, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें। उन्होंने बताया कि यदि औद्योगिक प्रतिष्ठान पारियों में चलता है तो प्रत्येक पारी में 1 घंटे का अंतराल रखा जाये ताकि एक पारी से छूटने वाले श्रमिक एवं कार्मिक की परिसर के प्रवेश द्वार पर भीड़ एकत्रित ना हो और न्यूनतम भौतिक दूरी भी बनी रहे। औद्योगिक प्रतिष्ठान में लंच ब्रेक के लिये भी एक साथ अनुमत ना कर अलग-अलग अंतराल में अनुमति दी जाये ताकि ज्यादा लोग एक साथ एक स्थान पर एकत्रित ना हो सकें।

शासन सचिव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अति आवश्यक श्रेणी के उत्पादन यथाः आटा, दाल, चावल, तेल आदि उद्योगों में आवश्यकतानुसार श्रमिकों से अब आगामी 3 माह तक 8 घंटे के स्थान पर 12 घंटे अतिरिक्त मजदूरी के भुगतान अध्यधीन कार्य लिया जा सकता है।

डॉ. पवन ने बताया कि लॉकडाउन 3 अवधि में राज्य में प्रत्येक नागरिक (चिकित्सा आकस्मिता को छोडकर) सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक ही आवागमन अनुमत गतिविधियों के लिए कर सकता है। इसलिए औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक पारी में कार्य लिया जाता है तो सायं 6 बजे तक समाप्त कर दें ताकि उस प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले श्रमिक एवं कार्मिक सायं 7 बजे से पूर्व अपने निवास पर पहुंच सकें। यदि एक से अधिक पारीयों में कार्य किया जाता है तो रात्रि पारी के श्रमिकों को भी सायं 7 बजे से पूर्व परिसर में बुलाना सुनिश्चित किया जाये और दूसरे दिन सुबह 7 बजे के बाद ही उन्हें परिसर से बाहर निकलने के लिए अनुमत किया जायें।

SUPPORTING IMAGES

Copyright © 2016 Information and Public Relations Department. All Right Reserved.

Last Updated On: **10/5/2020**
You are visitor No.:

001862084

Website Policies (/content/dipr/en/websitepolicies.html) | Disclaimer (/content/dipr/en/disclaimer.html) |

Accessibility (/content/dipr/en/accessibility.html) | Sitemap (/content/dipr/en/sitemap.html)

Nodal Officer: **Sh. Arun Kumar Joshi**

Designation : Joint Director(News)

Mobile Number : 9610409010

Email: dpr-comp-rj@nic.in

This website belongs to Information and Public Relations Department

We're on social networks

(https://[illegible]/UC2oIZW3EmG59rjejhn

(https://validator.w3.org/) (https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer)